(b) whether a probe has been conducted into the disaster?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) and (b) An enquiry has been ordered into the accident.

दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में प्रवेश पाने में छात्रों को कठिनाई

179. **श्री राम जेठमलानी :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान ऐसे योग्य छात्रों को जो स्कूलों से निकले हैं और प्रवेश के पात्र हैं संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली के कालेजों में प्रवेश पाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस वर्ष इन कालेजों में उपलब्ध स्थानों की संख्या इस वर्ष की आवश्यकता से कम थी ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है ; और क्या सरकार कालेजों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए दिल्ली में और अधिक नियमित कालेज स्थापित करने के लिए कदम उठायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पो० साहो) : (क) से (घ) संबद्ध विश्वविद्यालय अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार, वे सभी छात्र जिन्होंने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली की सीनियर स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा–XII) अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा 40 प्रतिशत अथवा इससे ऊपर अंकों सहित उत्तीर्ण कर ली है कालेजों में नियमित छात्रों के रूप में अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के पात्र होंगे बशर्ते कि उनकी आयु कम से कम 17 वर्ष हो। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि चालू शैक्षिक वर्ष के दौरान वे सभी 51,524 छात्र, जिन्होंने सीनियर माध्यमिक तथा समकक्ष परीक्षा (कक्षा–XII) दिल्ली से 40 प्रतिशत अथवा इससे ऊपर अंकों सहित उत्तीर्ण कर ली है, विभिन्न कालेजों में अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के पात्र हैं। इसी के मुकाबले, दिल्ली विश्वविद्यालय में इसके कालेजों, गैर-कालेजीय महिला शिक्षा बोर्ड, और पत्राचार पाठ्यक्रमों तथा सतत शिक्षा में प्रवेश क्षमता 52,152 है।

चूंकि, छात्र एक से अधिक पाठ्यक्रम में और साथ-ही-साथ एक से अधिक कालेज में प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं और प्रवेश की प्रक्रिया अभी जारी है, अतः उन छात्रों की संख्या, जिन्होंने प्रवेश के लिए आवेदन किया है और उन छात्रों की संख्या जो प्रवेश प्राप्त नहीं कर पाये हैं, ठीक-ठीक नहीं बताई जा सकती। तथापि, विश्वविद्यालय ने बताया है कि वह चालू शैक्षिक वर्ष में पात्र छात्रों को प्रवेश देने की स्थिति में होगा।

विश्वविद्यालय धीरे-धीरे प्रत्येक वर्ष अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करके प्रवेश की बढ़ती मांग को पूरा करने के उपाय करता रहा है। दिल्ली प्रशासन ने पिछले वर्ष तीन नए कालेज स्थापित किए हैं। विश्वविद्यालय ने दो नए कालेज, अर्थात् दिल्ली प्रशासन का महिलाओं के लिए प्रयुक्त विज्ञान कालेज, शाहदरा और एयर फोर्स अधिकारी कल्याण सोसायटी का वैमानिकी अध्ययन कालेज खोलने के प्रस्तावों को सिद्धांततः अनुमोदित कर दिया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में नये कालेजों का खोला जाना

180. **श्री राम जेठमलानी :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में कुछ नए कालेज खोले गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "नहीं" हो, तो उसके क्या कारण है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार की भावी योजनाएं क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साही) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में निम्न-लिखित तीन सह-शिक्षा कालेज खोले गए हैं :—

(1) कला और वाणिज्य, दिल्ली कालेज (जी० डी० मालवान कालेज के स्थान पर)

(2) शारीरिक शिक्षा तथा खेल कालेज

(3) प्रबंध शिक्षा कालेज

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) दिल्ली विश्वविद्यालय ने सैद्धांतिक रूप से दो नए कालेजों अर्थात् दिल्ली प्रशासन द्वारा शाहदरा में प्रयुक्त विज्ञान महिला कालेज तथा वायु सेना कल्याण सोसाइटी द्वारा वैमानिक शिक्षा कालेज की स्थापना करने का अनुमोदन दे दिया है।

डी० टी० सी० के मार्गों का गैर-सरकारीकरण

181. **श्री राम जेठमलानी :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत मार्च, 1988 में दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान प्राइवेट बसें चलाए जाने की व्यवस्था की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्राइवेट बसें दिल्ली में उस समय की गई व्यवस्था के अनुसार अभी भी चल रही हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने दिल्ली में डी०टी०सी० मार्गों का प्रयोग प्राइवेट बसों द्वारा किये जाने की कोई योजना सरकार को भेजी है ; और

(च) यदि हां, तो योजना को अब तक स्वीकृति या अस्वीकृति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) प्राइवट बसें जो पहले दिल्ली परिवहन निगम के अधीन किलोमीटर स्कीम के तहत चलती थी और जो दिल्ली में कंट्रैक्ट कैरेज परमिट पर चलती थी तथा जो बसें पड़ोसी राज्यों से थीं, उन्हें राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिए गए अस्थायी स्टेज कैरेज परमिट के तहत प्रचालन की अनुमति दी गई थी।

(ग) और (घ) सिर्फ वही प्राइवेट बसें अस्थायी स्टेज कैरेज परमिट के तहत चल रही हैं जिन्हें पहले किलोमीटर स्कीम के तहत लगाया गया था। बाद वाली प्रणाली में प्रचालकों द्वारा आय अपने पास रखी जाती है।

(ङ) और (च) इस बारे में दिए गए विभिन्न सुझावों की जांच की जा रही है।